(2016/00030)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

राजस्वअपील संख्या — 42 / 2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.जयसिंह पुत्र नवीया 2.श्रीमति पोनीदेवी बेवा सांवलसिंह 3.भंवरसिंह पुत्र सांवलसिंह 4.पारससिंह पुत्र सांवलसिंह 5.कानसिंह पुत्र सांवलसिंह जातियान् राजपुरोहित,निवासीगण लेटा, तहसील जालोर, जिला जालोर		1.भूमिधारी जरिये तहसीलदार जालोर जिला जालोर 2.मूलाराम पुत्र कपूरजी 3.छतराराम पुत्र कपूरजी 4.माधवलाल पुत्र कपूरजी जातियान् लोहार, निवासीगण लेटा, तहसील व जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू अ.)जालोर दिनांक 22.8.1977

उपस्थिति :–
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री बसन्तकुमार गहलोत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 से 4की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25.11.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम लेटा के पुराने खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन तेड की खातेदारी सांवला पुत्र रूपा एवं जयसिंह पुत्र नवीया के नाम तत्कालीन जमाबंदी में दर्ज थी तथा इसी माफिक कब्जा काश्त था। संवत् 2015 से 2028 खतौनी बन्दोबस्त नकल जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 व2030–2033 तक राजस्व रैकार्ड जमाबंदी में बहैसियत खातेदारी दर्ज है। सांवलसिंह व जयसिंह दोनो अनपढ थे , उन्होनें अपनी जीवनकाल में कभी हस्ताक्षर नही किये , दोनो अंगूठा लगाते थे, सांवलसिंह की मृत्यु हो चुकी है, इनके वारिसान् 2 से 5 है जिसमें सभी का समान हक है,सांवला व जयसिंह के नाम से दिनांक 30.12.77 को एक प्रार्थनापत्र तैयार करवाना

बताकर उस पर जयसिंह व सांवलसिंह के हस्ताक्षर करना बताकर प्रार्थनापत्र बाबत् स्तीफा पेश करने पर तहसीलदार जालोर ने ग्राम लेटा के खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन तेडा का स्तीफा दिनांक 30.3.1977 को मन्जूर करवाया जाना बताया है, उस प्रार्थनापत्र पर इन दोनो ने अंगूठे नहीं किये , किसी अन्य ने हस्ताक्षर फर्जी करवाये है, दिनांक 30.3.1977 को स्तीफा स्वीकार करना बताया गया है तथा तहसीलदार (भू.अ.) कार्यालय से आदेश कमांकःभू.अ./2182–83 दिनांक 22.8.1977 (19.8.77)जारी कर स्तीफा स्वीकार किया जाना बताया है, प्रार्थनापत्र व अपीलाधीन आदेश की तारीखों में भयंकर विरोधाभास है, स्तीफा का प्रार्थनापत्र पेश करने से पूर्व दिनांक 30.3.77 को स्वीकृत कैसे हो गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। मृतक सांवलसिंह व अपीलांट सं.1 जयसिंह स्वयं भूमिहीन थे तो उनके द्वारा स्तीफा देने का सवाल ही उत्पन्न नही होता ,उन्होनें कभी स्तीफा नहीं दिया, ये दोनो गांव के जागीरदार नहीं थे, न इनके पास सीलिंग से प्रभावित भूमि थी। बनावटी प्रार्थनापत्र व हस्ताक्षर कर गरीब काश्तकार को भूमिहीन करने का षडयंत्र रचा गया है, इनसे आज तक कब्जा भी नहीं लिया गया,आज तक अपीलांट का कब्जा है,इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 531 रकबा 0.04 हेक्टर,किस्म गैर मुमकिन तेड व खसरा नम्बर 532 रकबा 0.09 हेक्टर है,दोनो खसरे राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज है। प्रार्थनापत्र पेश करने की तारीख पहले होनी चाहिये, बाद में तस्दीक व उसके बाद स्वीकार होना चाहिये जबकि इस प्रकरण में प्रार्थनापत्र पेश करने से पूर्व ही स्तीफा मन्जूर होना बताया है जो गैरकानूनी , शून्य आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 55 के तहत् भूमिधारी द्वारा भू धारक को 1 मई से पूर्व रजिस्ट्रीकृत नोटिस देगा , वह नोटिस 30 दिनों का होगा,इस प्रकरण में ऐसा नोटिस नहीं दिया गया।धारा 59 के तहत् भूमिधारी से भूधारक कब्जा लेगा, इस प्रकरण में भूमिधारी से कब्ला लेने का कोई सबूत नही है, न ही कब्जा लिया गया है। अभ्यपर्ण स्वेच्छिक होना चाहिये, इस प्रकरण में यह स्वेच्छिक नही था , न हैं। धारा 55 से 59 के प्रावधानों की पालना न करने से अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट सं.1–जयसिंह अनपढ व बहरा है,शेष सभी अपीलांट अनपढ व ग्रामीण परिवेशमें रहने वाले है, मौके पर अपीलांट का कब्जा है व उक्त कब्जे को विवादित नही किया इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई। अपीलांट दिनांक 24.2.2016को जालोर कचहरी में अपनी जमीन की जानकारी प्राप्त करने इसलिए आया कि इसे बैंक से ऋण लेना था, तब रेवेन्यू रेकर्ड की नकले मांगी जो उसी दिन मिलने से स्तीफे की

जानकारी हुई, इसके बाद नकल जमाबंदी दिनांक 29.2.16 को मांगी जो दिनांक 1.3.2016को मिली, जिसमें सरकारी भूमि बताने से पूर्ण जानकारी हुई, अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे व ग्राम लेटा के वर्तमान खसरा नम्बर 531,532 रकबा 0.13 हेक्टर (जो गत खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बिस्वा के अनुरूप है)में अपीलांट सं.1 जयसिंह का 1/2 हिस्सा ,अपीलांट सं. 2 से 5 पोनी वगैराह का 1/2 हिस्सा, वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट के अपील के धारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकलें पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण मूलाराम, छतराराम व माधवलाल पुत्र कपूरजी,जाति लोहार,निवासी लेटा ,तहसील व जिला जालोर ने दिनांक 4.4.2016को एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. बाबत् अपील में रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु पेश किया जिस पर बाद सुनवाई के रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

3. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 16.3.2017को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि जयसिंह अनपढ अवश्य है मगर बहरा नहीं हैं, जयसिंह की उम्र प्रार्थनापत्र में लिखी हुई नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है, रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 के पिता कपूरजी को 1000/—'रूपये में अपीलांट द्वारा प्लोट का बैचान किया था क्योंकि उक्त खसरा नम्बर266 में रेस्पोडेन्ट सं.2,3,4 के पिता कपूरजी का कब्जा होने से व उक्त आराजी का अपीलांट जयसिंह व सांवलसिंह द्वारा स्तीफा देने से सिवायचक हो जाने से रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 के खिलाफ धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् दर्ज मुकद्मा संख्या 331/83 में दिनांक 30.7.1983 को अपीलांट जयसिंह जो बाद में नवीया के **गोद** गया था, ने अपने बयानों में स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि यह मेरे खातेदारी का खेत था, जिसका स्तीफा जालोर तहसील में दिया था,उक्त स्तीफा मंजूर हो चुका हैं, उक्त जमीन बेचे गत 9—10 साल हुए है। मगर अब वर्तमान में उक्त आराजी की किमत बढ जाने से अपीलांट जयसिंह ने इस प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र न देकर पानीदेवी से शपथपत्र दिलवाया है,मगर दिनांक 30.7.83 को जयसिंह द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में दिये गये बयानों का अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है जिससे स्पष्ट हैं कि दिनांक 22.8.1977 व 29.8.77 को अपीलांट द्वारा दिये गये

स्तीफे के आधार पर दिये गये आदेश के पश्चात् म्युटेशन सं. 238 पारित हुआ है तथा इस म्युटेशन सं.238 की जानकारी अपीलांट को शुरू से है तथापि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में अपीलांट ने गलत तथ्य अंकित किये हैं।ग्राम पंचायत लेटा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.2,3,4 के पक्ष में दिनांक 14.2.2014 को निर्माण ईजाजत जारी की गई थी जिसे निरस्त करने हेतु अपीलांट्स ने एक पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र सं. 23/2014, निर्णय दिनांक 28.1.2015,जयसिह बनाम चतराराम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसका दिनांक 19.11.2014 को रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4द्वारा प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में विवादित भूमि का स्तीफा देने व स्तीफे के आधार पर आदेश पारित होने के पश्चात् म्युटेशन सं. 238दर्ज किये जाने का बखूबी उल्लेख किया गया था,इससे स्पष्ट हैं कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर है तथा अवधिपार अपील को म्याद में लाने हेतु अपीलांट द्वारा झूठा शपथपत्र पेश किया है,अपीलांट पोनीदेवी के पति स्व.सांवलसिंह व जयसिंह ने दिनांक 30.3.1977 को वादग्रस्त भूमि का स्तीफा दे दिया था जो स्तीफा दिनांक 31.3.1977 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 29.8.1977 को उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे मगर अब दिनांक 30.3.1977 को अपीलांट द्वारा दिये गये स्तीफे से मुकरने के लिए अपीलांट्स पोनी देवी से झूठा शपथपत्र दिलवाकर यह अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है जिसे म्याद बाहर शुमार की जाकर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 द्वारा उक्त आराजी बाबत् माननीय जिला न्यायाधीश जालोर के न्यायालय में एक दिवानी मूल वाद सं. 6/2012, मूलाराम बनाम राज. सरकार प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 8.2.2013 को प्रस्तुत किया था , जिसमें तहसीलदार जालोर के अपीलाधीन आदेश का व उसके आधार पर म्युटेशन सं. 238 का उल्लेख किया है,अतः अपीलांट्स की अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र पर व अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि सांवला पुत्र रूपा, व अपीलांट–जयसिंह के नाम से दिनांक 30.12.77 को एक प्रार्थनापत्र तैयार करवाना बताकर ग्राम लेटा के गत खसरा नम्बर 266 रकबा 16बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन तेड का स्तीफा मन्जूर किया जाना बताया है, इन दोनो ने अंगूठे नही किये व अन्य से हस्ताक्षर फर्जी करवाये गये है, को

निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के अभिभाषक ने बताया कि उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट सं.2से 4 के पिता कपूरजी को 1000/--रू. में अपीलांट द्वारा बैचान किया था ,अपीलांट जयसिंह व सांवलसिंह द्वारा स्तीफा देने से भूमि सिवायचक हो जाने से रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4के पिता के खिलाफ धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रकरण सं. 331/83 चला था, जमीन की कीमत बढ जाने से अपीलांट ने जयसिंह ने इस अपील के साथ शपथपत्र न देकर पोनी देवी से शपथपत्र दिलवाया है, स्तीफे के आधार पर म्युटेशन सं. 238 पारित हुआ है,जिसकी जानकारी अपीलांट को शुरू से है,अतः अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट जयसिंह पुत्र नवीया तथा सांवला पुत्र रूपा, कौम पुरोहित, साकिन लेटा ने एक प्रार्थनापत्र, जिस पर अपीलांट जयसिंह का अंगुष्ठ निशान व सांवलसिंह का हस्ताक्षर अंकित है, तहसीलदार जालोर को प्रस्तुत किया, प्रार्थनापत्र पर पहचान श्री हिमताराम पुत्र चतराजी, राव साकिन लेटा द्वारा दी गई है एवं तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है,इस पर टी.आर.ए.द्वारा टिप्पणी अंकित की है कि 76--77का लगान वसूल किया जाना चाहिये , इस पर तहसीलदार जालोर ने पटवारी को लगान वसूल करने का आदेश दिनांक 30.3.77 को दिया है, पटवारी लेटा द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि सरहद मौजा लेटा के स्थित खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तेड होने से 1976--77 लगान बकाया नही है, इस पर तहसीलदार जालोर द्वारा उक्त स्तीफा दिनांक 31.3.77 को स्वीकार किया गया जिसका आदेश कमांक :भू.अ./2182--83 दिनांक 29.8.77 जारी किया गया है।

अपीलांट जयसिंह व सांवला का स्तीफा प्रार्थनापत्र टाईप सुदा है व जिस पर रिक्त स्थानों पर पर नाम खसरा नम्बर वगैराह पेन से भरे हुए है, तथा टाईप से तारीख 30.12.77 अंकित है जो संभवतः तारीख आंकेत करने में गल्ति हो सकती है, इससे स्पष्ट हैं कि अपीलांट को स्तीफे की जानकारी शुरू से हे।

जयसिंह द्वारा नायब तहसीलदार जालोर के न्यायालय के धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरण सं. 331/83 में दिनांक 30.7.83 को बयान दिये गये है जिसमें बताया है कि " मै श्री कपूरजी को जानता हूं। इनका मकान व वाडा मेरे मकान के पास में ही आया हुआ। इसलिए पाडौस होने से जानता हूं। उक्त प्लोट मैंने ही कपूरजी को कुल 1000/--रूपये बेचा गया था। यह मेरे खातेदारी का खेत था। जिसका

अस्तीफा जालोर तहसील में दिया था । उक्त अस्तीफा भी मंजूर हो चुका उसमें पक्का मकान भी बना दिया है तथा इसमें लोहे की फेक्ट्री लगा दी हैं।गैर सायल उक्त भूमि में रहवास भी करते है शुरू में गैरसायल का मलबा पडा हुआ था। " इससे भी जाहिर हैं कि अपीलांट को स्तीफे की जानकारी शुरू से थी।

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार (भू.अ.) जालोर के आदेश दिनांक 29.8.77(क्रमांक:भू.अ./2182–83)के विरूद्ध दिनांक 1.3.2016 को प्रस्तुत की है,उक्त आदेश, अपीलांट के स्तीफा प्रार्थनापत्र देने की तारीख 30.3.77 के आधार पर ही जारी किया गया है, आदेश की जानकारी के 30 दिवस के भीतर अपीलांट को अपील पेश करनी चाहिये थी लेकिन अपीलांट ने करीब 39 वर्ष बाद यह अपील पेश की है जिसका दिन प्रतिदिन देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है,अतः अपीलांट्स की अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार(भूअ.)जालोर के आदेश कमांक:भू.अ./2182–83 दिनांक 29.8.77 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील, म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 18:37:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: